संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

***

नई दिल्ली, दिनांक : 17 जून, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का केन्द्र सरकार /राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के विश्वविद्यालयों/संघ शासित प्रशासन, स्थानीय निकायों आदि में तथा उक्त निकायों से केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर स्थानांतरण – वेतन का विनियमन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था.(वेतन-II) समय-समय पर यथासंशोधित/परिशोधित का सन्दर्भ लेने का निदेश हुआ है । इन सभी आदेशों को एक स्थान पर समेकित करने की आवश्यकता महसूस की गई है तथा तदनुसार व्यय विभाग के परामर्श से उपर्युक्त विषय पर पूर्व के आदेशों के प्रावधानों को जहां आवश्यक हो, उपयुक्त संशोधनों के साथ शामिल करते हुए दिनांक 5-1-94 के कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में एक विस्तृत कार्यालय ज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है ।

2. लागू होना

2.1 ये आदेश केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिनकी उसी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन/स्थानीय निकाय या केन्द्रीय/राज्य द्वारा गठित या नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि ऐसी विदेश सेवा को तत्काल आमेलन शर्तों पर नियुक्ति के लिए छूट दी गई है बशर्ते कि संवर्ग बाह्य पद की भर्ती नियमावली के अनुरूप प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियमित रूप से नियुक्ति की गई हो । इन आदेशों में राज्य सरकार/केन्द्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भर्ती नियमों के अनुरूप की जाने वाली नियमित नियुक्तियों के मामले भी शामिल होंगे ।

2.2 तथापि, निम्नलिखित मामले इन आदेशों में शामिल नहीं होंगे, जिनके लिए पृथक आदेश निकाले जाएंगे :-

(क) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य तथा इन पदों पर तैनात अधिकारी जिनकी शर्तें विशिष्ट वैधानिक नियमों या आदेशों के तहत विनियमित होती हैं;

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी, जिनके लिए समय-समय पर जारी पृथक आदेश लागू होते रहेंगे;

(ग) भारत के बाहर पदों पर प्रतिनियुक्ति;

(घ) विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों की विशिष्ट श्रेणी के पदों पर नियुक्ति, जहां आदेश पहले ही विद्यमान हैं, जैसे कि मंत्री आदि के निजी स्टाफ में इन आदेशों में निहित भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुसार संगत प्रावधानों के अनुसार की जाने वाली नियुक्तियां;

(ड.) विशिष्ट शर्त कि कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता देय नहीं होगा, के साथ आकस्मिक सेवा में संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या स्थानांतरण, जैसे - (i) किसी सरकारी कार्यालय/संगठन या उसके एक भाग का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय या इसके उलट रूप में परिवर्तित होना; तथा (ii) अन्य संवर्ग में उसी पद पर नियुक्तियाँ ।

3. <u>'प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा' शब्द का क्षेत्र – प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा को नियुक्ति के रूप में मानने पर प्रतिबंध</u>

3.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा शब्दों में केवल वे नियुक्तियाँ शामिल होंगी, जो स्थानांतरण द्वारा अस्थाई आधार पर की जाती हैं, बशर्ते कि उक्त स्थानांतरण तैनाती के सामान्य क्षेत्र से बाहर का तथा जनहित में हो । क्या स्थानांतरण तैनाती के सामान्य से बाहर का है या नहीं, इसका निर्णय उस सेवा या पद, जिससे कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

3.2 कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा या खुले बाजार के अभ्यर्थियों, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी आधार पर की गई नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा ।

3.3 स्थानांतरण द्वारा की गई स्थाई नियुक्ति को भी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा ।

3.4 कर्मचारी के व्यक्तिगत अनुरोध के आधार पर की गई अस्थाई नियुक्ति को भी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा ।

3.5 केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्तियों के मामलों तथा उन मामलों में जहां मूल संवर्ग पद तथा संवर्ग बाह्य पद पर वेतनमान तथा महंगाई भत्ता समान है, उच्चतर वेतन/वेतनमान के व्यक्ति की निम्नतर वेतन/वेतनमान में पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति नहीं की जाएगी ।

3.6 केन्द्र सरकार से ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के मामले में जहां मूल संवर्ग पद तथा संवर्ग बाह्य पद पर वेतनमान एवं महंगाई भत्ता एकसमान नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियुक्ति नहीं की जाएगी, जहां पर मूल संवर्ग में मूल वेतन एक वेतनवृद्धि तथा महंगाई भत्तों सहित बढ़ जाती है, जिसमें आन्तरिक राहत शामिल है, यदि कोई है, जो मूल संवर्ग में व्यक्ति को देय है, मूल वेतन तथा महंगाई भत्तों, जिसमें अन्तरिम राहत शामिल है, यदि संवर्ग बाह्य पद के अधिकतम से अधिक हो जाती है ।

संशोधित वेतन ढांचे में वेतनमान के अधिकतम का तात्पर्य संवर्ग बाह्य पद के ग्रेड वेतन तथा वेतन बैंड पी.बी.4 का अधिकतम अर्थात् 67000 रुपए का योग है । उदाहरणार्थ, यदि संवर्ग बाह्य पद 4200 रुपए के ग्रेड वेतन के अंतर्गत है, तो अधिकतम 71200 रुपए होगा, अर्थात् 4200 रुपए जमा 67000 रुपए (वेतन बैंड-4 का अधिकतम होगा)

4. <u>विकल्प का प्रयोग</u>

4.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में नियुक्त कोई कर्मचारी या तो अपनी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पद के वेतनमान का वेतन अथवा मूल संवर्ग के अपने मूल वेतन जमा उस पर प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता जमा वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, आहरित करने का विकल्प चुन सकता है । तथापि, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में नियुक्ति के मामले में इस विकल्प की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनका वेतन लोक उद्यम विभाग द्वारा 26.11.2008 को जारी किए गए आदेशों और उसके पश्चात् स्पष्टीकरणों द्वारा अधिशासित किया जाएगा ।

4.2 सेवाएं उधार लेने वाले प्राधिकारी को संवर्ग बाह्य पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से <u>एक माह के भीतर</u> कर्मचारी से विकल्प प्राप्त कर लेना होगा, यदि कर्मचारी ने स्वयं अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया हो ।

4.3 **एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा ।**

4.4 तथापि, कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने विकल्प में संशोधन कर सकता है, जो कि इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की तारीख से लागू होगा :-

(क) जब उसे मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त हो अथवा गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में नियुक्त हो अथवा वेतनमान का अपग्रेडेशन होने पर

(ख) जब वह उसे अपने मूल संवर्ग में किसी निम्नतर ग्रेड में प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) किया गया हो

(ग) उसके मूल पद का वेतनमान, जिसके आधार पर उसकी परिलब्धियाँ प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान विनियमित की जाती हैं अथवा प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर अधिकारी द्वारा धारित संवर्ग-बाह्य पद का वेतनमान या तो भविष्यलक्षी प्रभाव से अथवा प्रतिकूल प्रभाव से संशोधित होने पर ।

(घ) प्रोफार्मा पदोन्नति/गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड में नियुक्ति/मूल संवर्ग में वेतनमान में संशोधन/अपग्रेडेशन की स्थिति होने पर कर्मचारी के संशोधित/उसी विकल्पके आधार पर प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी का वेतन मूल संवर्ग में वेतन की संशोधित पात्रता के संदर्भ में पुनः निर्धारित किया जाएगा । तथापि, यदि आरंभिक विकल्प प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान के लिए किया गया था और पहले दिए गए विकल्प में कोई परिवर्तन न होने पर, प्रतिनियुक्ति पद में पहले ही विचारित आहरित किया जाने वाला वेतन का संरक्षित किया जाएगा, यदि पुनः निर्धारित वेतन कम है ।

टिप्पणी :- मूल अथवा सेवाएं उधार लेने वाले संगठन में किसी में भी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता या किसी अन्य भत्ते की दरों में संशोधन होने पर पूर्व के विकल्प में संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा ।

4.5 यदि किसी कर्मचारी का वेतन अपने संदर्भ पद में संशोधन के परिणामस्वरूप कमतर हो जाता है, तो संवर्ग बाह्य पद में उसका वेतन, संशोधित वेतन के आधार पर और संशोधित विकल्प अथवा मौजूदा विकल्प यदि कर्मचारी अपना विकल्प संशोधित नहीं करता, के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाएगा ।

5. वेतन-निर्धारण

5.1 जब प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर कोई कर्मचारी संवर्ग-बाह्य पद से संबद्ध वेतनमान में वेतनमान में वेतन आहरित करने का विकल्प चुनता है, तो उसका वेतन निम्नानुसार नियत किया जाए :-

(i) केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति

यदि संवर्ग-बाह्य पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन अधिकतर है, तो मूल संवर्ग पद के वेतन-बैंड में मौजूदा वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद नियत किया जाएगा । इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा ।

तथापि, यदि संवर्ग-बाह्य पद में वेतन निर्धारण में वेतन बैंड में परिवर्तन भी शामिल है, यदि वेतन बैंड में वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद वेतन संवर्ग-बाह्य वेतन के ग्रेड वेतन के तदनुरूप न्यूनतम वेतन बैंड से कम होता है, तो वेतन बैंड में वेतन, वेतन बैंड के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा ।

यदि कर्मचारी के संवर्ग पद का ग्रेड वेतन/वेतनमान और संवर्ग बाह्य पद का वेतन समान है, तो कर्मचारी अपना वर्तमान मूल वेतन आहरित करता रहेगा/रहेगी ।

यदि संवर्ग बाह्य पद का ग्रेड वेतन 10000 रु. तक है, तो मूल वेतन समय-समय पर वेतन-निर्धारण के बाद वेतन बैंड पी.बी.4 (67000 रु.) के अधिकतम जमा प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के ग्रेड वेतन से अधिक नहीं होना चाहिए । यदि संवर्ग बाह्य पद एचएजी अथवा एचएजी प्लस वेतनमान में है, तो मूल वेतन समय-समय पर वेतन-निर्धारण के बाद क्रमशः 79000रु. अथवा 80000 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ii) विदेश सेवा/उत्क्रम विदेश सेवा में

(क) यदि मूल संवर्ग में पद वेतनमान और संवर्ग बाह्य पद का वेतनमान समान सूचक स्तर पर आधारित हो और महंगाई भत्ते का पैटर्न भी समान हो, तो वेतन उपर्युक्त (i) के अंतर्गत निर्धारित किया जाए ।

(ख) यदि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति की जाती है, जिसकी वेतन संरचना/अथवा महंगाई भत्ता पैटर्न मूल संगठन की वेतन-संरचना/अथवा महंगाई भत्ता पैटर्न के समरूप नहीं है, तो उसके वेतन का निर्धारण उसके नियमित मूल पद के वेतनमान में मूल संवर्ग पद में वेतन में एक वेतनवृद्धि जोड़कर (और यदि वह वेतनमान का अधिकतम वेतन आहरित कर रहा है, तो पिछले आहरित वेतन में वेतनवृद्धि जोड़कर) और इस प्रकार बढ़ाए गए

वेतन को बराबर मानकर जमा महंगाई भत्ता (और अतिरिक्त अथवा तदर्थ महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत, यदि कोई हो) वेतन जमा महंगाई भत्ता, तदर्थ महंगाई भत्ता, अंतरिम राहत इत्यादि यदि कोई अनुमत्य हो, परिलब्धियों के साथ आदाता संगठन में निर्धारित किया जाए और वेतन का निर्धारण संवर्ग-बाह्य पद के वेतनमान में उस चरण में किया जाए, जिसमें उपर्युक्त के अनुसार संवर्ग-बाह्य पद में अनुमत्य कुल परिलब्धियाँ संवर्ग में आहरित परिलब्धियों के बराबर हो ।

5.2 एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संवर्ग बाह्य पद में नियुक्ति के मामलों में जहां कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान में वेतन आहरण करने का विकल्प देता है, तो दूसरे अथवा बाद के संवर्ग बाह्य पद में वेतन का निर्धारण केवल संवर्ग पद में वेतन के संदर्भ में सामान्य नियमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए । तथापि, पूर्व के अवसरों पर धारित संवर्ग बाह्य पदों के समान ग्रेड वेतन वाले संवर्ग बाह्य पदों में नियुक्तियों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि बाद की नियुक्ति में आहरित वेतन पहले आहरित किए गए वेतन से कम नहीं हो ।

5.3 पिछले संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान से किसी उच्चतर वेतनमान में द्वितीय अथवा बाद के संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्तियों के मामलों में वेतन का निर्धारण, संवर्ग पद में आहरित वेतन के संदर्भ में किया जाए और यदि इस प्रकार निर्धारित वेतन पिछले संवर्ग बाह्य पद में आहरित वेतन से कम होता है, तो इस अन्तर को भविष्य में वेतन में वृद्धि में वैयक्तिक वेतन में आयोजित करने की अनुमति दी जाए । यह इस शर्त के अधीन है कि दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी को संवर्ग बाह्य पदों से संलग्न वेतनमान/ग्रेड वेतन में वेतन आहरण करने का विकल्प देना चाहिए ।

टिप्पणी 1 : मूल पद और मूल वेतन का अर्थ क्रमश: मूल संगठन में नियमित आधार पद धारित पद और ऐसे पद में आहरित/अनुमत्य वेतन है ।

टिप्पणी 2 : कोई अधिकारी, जो प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाते समय संवर्ग में तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण किया हुआ हो, यह माना जाएगा कि उसने तदर्थ आधार पर धारित पद को खाली कर दिया है और वह अपने नियमित पद से प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर चला गया है । प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि के दौरान वह मूल संवर्ग पद में नोशनल वेतनवृद्धि अर्जित करेगा । प्रत्यावर्तन पर, यदि उसे उच्चतर पद पर नियमित अथवा तदर्थ आधार पर पुनर्नियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन, पदोन्नति की तारीख को निम्नतर पद में अनुमत्य वेतन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा । ऐसे मामलों में, यदि उसका वेतन, संवर्ग में सेवा जारी रखने वाले उससे कनिष्ठ अधिकारियों के चरण से निम्नतर चरण में निर्धारित होता है, तो जहां तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का

संबंध है, वर्तमान नियमों के अनुसार कोई बढ़ोतरी अनुमत्य नहीं होगी । तथापि, यदि इस प्रकार निर्धारित वेतन, पूर्व में तदर्थ आधार पर पद धारण करते हुए आहरित वेतन से कम है, तो पूर्व में आहरित वेतन का रक्षण किया जाएगा ।

अत: वे केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो पहले ही तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण किए हुए या जिसकी शीघ्र ही मूल संवर्ग में हो जाने की उम्मीद है, प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा का विकल्प लेने से पहले सभी संगत विचारों की तुलना कर सकते हैं । नोट ऑफ कॉशन अन्य संगठनों के उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जो केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आवेदन के इच्छुक हैं, यदि मूल संवर्ग में समान नियमों से शासित थे ।

टिप्पणी 3 : नियमित पदाधिकारी के तदर्थ आधार पर लम्बित चयन पर प्रतिनियुक्ति/ विदेश सेवा पर नियुक्त अधिकारी का वेतन इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.1 और 6.1 के प्रावधानों के अनुसार भी नियमित किया जाए ।

टिप्पणी 4 : इस नियम के प्रावधान और नियम 6 भी मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ की नियुक्तियों पर लागू नहीं होंगे । ऐसी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा उसकी ओर से जारी किए गए अलग विनिर्दिष्ट आदेशों द्वारा विनियमित की जाएंगी ।

6. <u>प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता</u>

6.1 स्वीकार्य प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता निम्नलिखित दर से होगा :-

(क) उसी स्टेशन के भीतर प्रतिनियुक्ति के मामले में, अधिकतम 2000/-रु. प्रति माह के अध्यधीन कर्मचारी के मूल वेतन के 5 प्रतिशत की दर से भत्ता दिया जाएगा ।

(ख) अन्य मामलों में, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता अधिकतम 4000/-रु. प्रतिमाह के अध्यधीन कर्मचारी के मूल वेतन के 10 प्रतिशत की दर से देय होगा ।

(ग) उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता निम्नलिखित के अनुसार और प्रतिबन्धित होगा :- मूल वेतन, समय-समय पर जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता वेतन बैंड-4 के अधिकतम (67000/-रुपए) जमा प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के ग्रेड वेतन यदि प्रतिनियुक्ति पर धारित पद का ग्रेड वेतन 10000/-रु. तक है, से अधिक नहीं होगा । यदि प्रतिनियुक्ति पर धारित पद एचएजी या एचएजी जमा वेतनमान में है, तो समय-समय पर, मूल वेतन जमा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता क्रमश: 79000/-रु. या 80000/-रु. रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए ।

टिप्पणी : संशोधित वेतन ढांचे में मूल वेतन का अभिप्राय निर्धारित वेतन बैंड जमा लागू ग्रेड वेतन से लिया गया वेतन से है, परन्तु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता आदि नहीं शामिल है ।

उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दरें 1.9.2008 से लागू होंगी ।

टिप्पणी 1 : इस उद्देश्य के लिए शब्द 'उसी स्टेशन' का निर्धारण उस स्टेशन के संदर्भ में होगा, जहां प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले वह व्यक्ति इयूटी पर था ।

टिप्पणी 2 : जब अन्तिम धारित पद के संदर्भ में मुख्यालय में कोई बदलाव नहीं है, तो स्थानांतरण को उसी स्टेशन के भीतर के रूप में माना जाना चाहिए तथा जब मुख्यालय में बदलाव होता है, तो इसे उसी स्टेशन के भीतर नहीं के रूप में माना जाएगा । जहां तक पुराने मुख्यालय के उसी शहरी समूह के भीतर के स्थानों का संबंध है, तो उन्हें उसी स्टेशन के भीतर स्थानांतरण के रूप में माना जाएगा ।

6.2 विशेष प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दरें, विशेषकर श्रमसाध्य या विकर्षित होने पर वहां रहने की शर्तों के कारण किसी विशेष क्षेत्र में अलग आदेश के अंतर्गत स्वीकार्य किया जाए । जहां विशेष दर उपर्युक्त पैरा 6.1 में दी गई दर से अधिक पक्षपातपूर्ण है, तो उस क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों को विशेष दर का लाभ दिया जाएगा ।

6.3.1 यदि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से कोई कर्मचारी के बिना उसी अथवा किसी दूसरे संगठन में किसी संवर्ग बाह्य पद से किसी दूसरे संवर्ग बाह्य पद से किसी दूसरे संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाता है –
और यदि दूसरा बाह्य संवर्ग पद, पहले वाले की तरह समान स्टेशन/केन्द्र पर था, तो प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दर में परिवर्तन नहीं होगा ।

6.3.2 ऐसे मामलों में जहां प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर कार्यरत व्यक्ति को उधारकर्ता प्राधिकरण द्वारा एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर बिना पद में परिवर्तन किए स्थानांतरित किया जाता है, तो 6.1(ख) के अनुसार प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते की दर को पुनः नियत किया जाएगा ।

7. <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान वेतन, भत्ते और लाभों की स्वीकार्यता</u>

7.1 एन.आर. 9(25) के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार का मूल विभाग को दिया जाने वाला विशेष भत्ता या मूल संगठन के सम्प्रेषित नियम द्वारा, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते के अलावा अनुमेय नहीं होना चाहिए । तदापि, उधारकर्ता विभाग

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, उपयुक्त रूप से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को रोकते हुए कर्मचारी को उसके मूल विभाग में जुड़ा हुआ कोई भी विशेष भत्ता प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के अलावा प्रदान कर सकता है । इसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की विशेष और पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी ।

7.3 ऐसे मामले में, जहां विशेष भत्ता संवर्ग (बाह्य) के वेतनमान से जुड़ा हुआ है और कर्मचारी ने उस वेतनमान में वेतन लेने के लिए चुनाव किया है, तब वेतनमान के अतिरिक्त, वह उक्त विशेष भत्ते को पाने के भी योग्य होगा । तदापि, अगर उसने मलू संवर्ग वेतनमान/ग्रेड वेतन प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते सहित लेने को चुना है, तो उक्त विशेष भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

7.4 किसी कर्मचारी द्वारा अपने मूल विभाग में लिया जाने वाला व्यक्तिगत वेतन यदि कोई है, तो भी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में यदि वह मूल संवर्ग का वेतनमान/ग्रेड वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित चुनता है, तो वह अनवरत रूप से स्वीकार्य रहेगा । तदापि, इस व्यक्तिगत वेतन में प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ।

7.5 वेतनवृद्धि – कर्मचारी मूल संवर्ग में वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा या प्रतिनियुक्ति पद से जुड़े वेतनमान/ग्रेड वेतन में, जैसा भी मामला हो, इस बात पर निर्भर करता है कि वह मूल संवर्ग में प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, वेतन सहित चुनता है या प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन चुनता है, नोशनल वेतनवृद्धि भी मूल संवर्ग/संगठन में वेतन के नियमितीकरण के उद्देश्य से मूल पद पर कार्यकाल की समाप्ति पर वापिस आने पर नियमित पद पर लगातार उपार्जित होती रहेगी ।

7.6 <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के दौरान भत्ते और लाभों की स्वीकार्यता</u>

(क) उधारकर्ता संगठनों में समवर्ती स्थिति रखने वाले नियमित कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के अधिकारियों को ऐसे भत्ते स्वीकार्य नहीं हैं, जबकि वे मूल संगठन में स्वीकार्य हैं ।

(ख) देने वाले और उधारकर्ता संगठनों की आपसी सहमति से निम्नलिखित भत्तों को नियमित किया जाएगा :-

(i) गृह किराया भत्ता/परिवहन भत्ता ।
(ii) ज्वाइन करने का समय/ज्वाइन करने के समय वेतन
(iii) यात्रा भत्ता और स्थानांतरण यात्रा भत्ता
(iv) बाल शिक्षा भत्ता
(v) छुट्टी यात्रा रियायत

(ग) निम्नलिखित भत्ते/सुविधाओं की प्रत्येक के प्रति स्पष्ट किए गए नियमों के अनुरूप नियमित किया जाएगा :

(i) महंगाई भत्ता – कर्मचारी लेने वाले संगठन में अथवा देने वाले संगठन में प्रचलित दरों पर महंगाई भत्ते के हकदार होंगे, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कर्मचारी ने पूर्व संवर्ग पद के वेतनमान/ग्रेड पे अथवा मूल ग्रेड जमा प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ता में वेतन आहरित करने का विकल्प चुना है ।

(ii) चिकित्सा प्रसुविधाएं – इसे लेने वाले संगठन के नियमों के अनुसरण में विनियमित किया जाएगा ।

(iii) छुट्टी – प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा में कोई अधिकारी मूल संगठन के छुट्टी नियमों द्वारा विनियमित होगा । तथापि, यदि अवकाश विभाग से गैर-अवकाश विभाग अथवा विपरीत क्रम में कोई कर्मचारी जाता है, वह लेने वाले संगठन के छुट्टी नियमों द्वारा शासित होगा । प्रतिनियुक्ति पद से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के समय, लेने वाला संगठन उसे (पुरुष/महिला) छुट्टी अनुमत कर सकता है, जो दो माह से अधिक न हो । कर्मचारी द्वारा और आगे छुट्टी के लिए अपने संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को आवेदन किया जाए ।

7.7 <u>छुट्टी वेतन/पेंशन/एन.पी.एस. अंशदान</u>

(i) जैसा कि इस समय केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मध्य और केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान का आबंटन छोड़ दिया गया है । केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को और इसके विपरीत प्रतिनियुक्ति के ऐसे मामलों में, उस विभाग जिससे अधिकारी छुट्टी पर गया हो, में छुट्टी वेतन वहन हेतु दायित्व विहित हैं और जिसके लिए स्वीकृत छुट्टी और कोई अंशदान देने वाले संगठन को देय नहीं है । सी.पी.एफ. में पेंशन/कर्मचारी के अंशदान हेतु दायित्व मूल विभाग द्वारा उत्पन्न होगा, जिसका सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी स्थायी रूप से होगा और कोई समानुपातिक अंशदान वसूल नहीं होगा ।

(ii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों/इत्यादि की शर्तों के आधार पर विदेश सेवा पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के मामले में छुट्टी वेतन अंशदान (विदेश सेवा पर भोगी गई छुट्टी की अवधि के सिवाय) और पेंशन अंशदान/सी.पी.एफ. (कर्मचारी का हिस्सा) अंशदान चाहे स्वयं कर्मचारी द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार के लेने वाले संगठन द्वारा अदा किए जाने अपेक्षित हैं ।

(iii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों से केन्द्रीय सरकार को विपरीत प्रतिनियुक्ति के मामलों में, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान संबंधी मुद्दा आपसी सहमति से हल किया जाएगा ।

(iv) नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में, लेने वाले विभाग को कर्मचारी के एन.पी.एस. खाते से समरूप अंशदान करना होगा ।

8. <u>प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि</u>

8.1 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि, यदि पूर्व संवर्ग पद हेतु कोई सेवाकाल विनियमन विद्यमान न हो, पूर्व संवर्ग पद अथवा 3 वर्ष के भर्ती नियमों के अनुसार होगा ।

8.2 यदि पूर्व संवर्ग के भर्ती नियमों में विहित प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि, जहां 3 वर्ष अथवा कम हो, प्रशासनिक मंत्रालय/लेने वाले संगठन को उनके सचिव (केन्द्र सरकार में)/मुख्य सचिव (राज्य सरकार में)/समकक्ष अधिकारी (अन्य मामलों के संबंध में) और लेने वाले मंत्रालय/विभाग के मंत्री के अनुमोदन से पांचवे वर्ष के लिए तथा लेने वाले मंत्रालय/विभाग, जिसके साथ वे प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैं, के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् चौथे वर्ष तक विस्तार मंजूर किया जा सकता है ।

8.3.1 लेने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन, जहां निम्नलिखित निबंधनों के अध्यधीन लोक हित में पूर्णत: आवश्यक हो, पांचवे वर्ष तक प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ा सकता है ।

(i) विस्तार देने वाले संगठन, संबंधित कर्मचारी की सहमति और जहां कहीं आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग और मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (ए.सी.सी.) के अनुमोदन से पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन होगा ।

(ii) यदि उधार लेने वाला संगठन एक अधिकारी को नियत समय से अधिक रखना चाहता है, तो कार्यकाल की समाप्ति की तिथि से छह माह पहले यह उधार देने वाले संगठन, संबंधित व्यक्ति इत्यादि से सहमति लेने के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा । इसे ऐसे किसी भी मामले में एक पदाधिकारी को मंजूर की गई अवधि के आगे तब तक नहीं रखना चाहिए, जब तक सक्षम प्राधिकारी से अगले विस्तार का अग्रिम अनुमोदन नहीं मिल गया है ।

पांचवे वर्ष से आगे विस्तार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8.3.2 जहां पाँच वर्ष तक विस्तार प्रदान कर दिया गया है, संबंधित अधिकारी को यदि उसने प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते का विकल्प दिया है, प्रतिनियुक्ति (इयूटी) भत्ते को जारी रखने की अनुमति होगी ।

8.4 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की प्रत्येक अवधि के पश्चात् संयुक्त सचिव स्तर तक के पदों के लिए तीन वर्ष तथा अपर सचिव स्तर के पदों के लिए 1 वर्ष की अनिवार्य "कूलिंग ऑफ" अवधि होगी ।

8.5 एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार/राज्य सरकार संगठन/संघ शासित क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के संगठन/स्वायत्त निकायों, न्यासों, समितियों, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनियंत्रित पी.एस.यू. इत्यादि में प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा के लिए 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एवं सतर्कता से अनापत्ति होने पर ही पात्र होंगे ।

8.6 प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा की अवधि के दौरान यदि मूल कैडर में प्रोफार्मा पदोन्नति पर संबंधित पदाधिकारी, बाह्य कैडर पद की तुलना में मूल कैडर में उच्च वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के लिए पात्र हो जाता है, तो पदाधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लेकर सामान्य/विस्तारित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को पूरा करेगा । वेतन का निम्नानुसार विनियमन होगा ।

(क) प्रोफार्मा पदोन्नति प्राप्त करने के बाद यदि अधिकारी मूल कैडर में प्रतिनियुक्ति पद से उच्च ग्रेड पे हो जाता है, तो यदि वह विकल्प देता है, तो उसकी पहले से ही स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की सामान्य/विस्तारित अवधि पूरी होने तक, उसकी पदोन्नति होने वाले पद में वेतन बैंड + ग्रेड पे में वेतन की अनुमति होगी ।

प्रतिनियुक्ति की स्वीकृत अवधि पूरी होने के बाद प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी विस्तार की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) यदि वह प्रतिनियुक्ति पद से संबंध पे बैंड + ग्रेड पे में वेतन लेता है, तो उसके मूल कैडर में प्रत्यावर्तन पर, उसके मल विभाग में उसके नियमित पद पर कल्पित वेतनवृद्धि + इससे संबद्ध ग्रेड पे देकर उसे वेतन निर्धारण की अनुमति होगी ।

(ग) ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के बाद, यदि अधिकारी का मूल कैडर में ग्रेड वेतन प्रतिनियुक्ति पद से अधिक हो जाता है तो अधिकारी को यदि उसने का. एवं प्र.वि. के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19 मई, 2009 के अनुलग्नक-1 के पैरा 27 के अनुसार विकल्प दिया है तो ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत, वेतन बैंड + ग्रेड वेतन जिसका वह पात्र है, लेने की अनुमति दी जा सकती है ।

9. <u>प्रतिनियुक्ति का मूल कैडर में समयपूर्व प्रत्यावर्तन</u>

सामान्यत: जब एक कर्मचारी प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर नियुक्त किया जाता है, तब कार्यकाल समाप्त होने पर उसकी सेवाएं उसके मूल मंत्रालय/विभाग के निवर्तन पर होंगी । यद्यपि, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर जब प्रतिनियुक्ति को समयपूर्व उसके मूल कैडर में प्रत्यावर्तन किया जाए, तब उधार देने वाले मंत्रालय/विभाग एवं संबंधित कर्मचारी को तीन माह की अग्रिम सूचना देकर, उसकी सेवाएं वापस की जा सकती हैं ।

10. <u>शर्तों में छूट</u>

इन निबंधन एवं शर्तों में किसी छूट के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पहले से सहमति लेनी होगी ।

11. <u>प्रभावी तिथि</u>

ये आदेश 1.1.2006 से प्रभावी होंगे एवं उन सभी अधिकारियों पर, जो 1.1.2006 को प्रतिनियुक्ति पर थे या उसके बाद नियुक्त हुए हैं, इस कार्यालय ज्ञापन के निम्नलिखित पैरा 6.1 में दिनांक 1.9.2008 से लागू, संशोधित दर के प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को छोड़कर, लागू होंगे ।

12. भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों में कार्यरत व्यक्तियों का जहां तक संबंध है, भारतीय महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के परामर्श से यह आदेश भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखे से बाहर प्रतिनियुक्ति पर, लागू होंगे ।

रीता माथुर

(रीता माथुर)

निदेशक (वेतन)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग इत्यादि ।

प्रतिलिपि — एन० आई० सी० (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), का० व प्र० वि०